तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
9 10/25	पत्रावली पेश। वास्ते ~~बहस~~ पत्रावली दिनांक:- 27/11/2025 को पेश हो।	
27/11/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/12/2025 को पेश हो	
18/12/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 29/12/25 को पेश हो	

29/12/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि खसरा संख्या 516, 1095/987 कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त विवादित भूमियों के मूल खातेदार भंवरलाल जी थे। विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन मौके पर काश्त करने की सुविधा की दृष्टि से प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे में खसरा नम्बर 1095/987 है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 1095/987 पर कब्जा करने पर आमादा है व काश्त की उपज नहीं दे रहे है इसलिए हम उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त करवाने आए है। वाद कारण जुलाई 2014 में उत्पन्न हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा हमारी भूमि की उपज हमें न देकर स्वयं के पास रखी जा रही है। हमारी भूमि का अनुचित कृषि लाभ प्राप्त कर रहे है। इस हेतु तहसीलदार हिण्डोली का रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित भूमियॉ संयुक्त स्वामित्व की है। विवादित भूमियों का का बंटवारा बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किए है। हम 1986 में क्रय की हुई भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। इन्होंने इलाज के खर्चे की ऐवज में भूमि हमें संभला रखी है। यह हमारे भाई है उन्होंने खर्चे की एवज में भूमि तो दे दी

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

परन्तु पंजीयन नहीं करवाया है। उनके द्वारा भूमि हमें काश्त पर संभलाने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। भूमि क्रय करने का बिन्दु साक्ष्य में तय होगा। मौके पर काबिज व्यक्ति को इस कार्यवाही से हटाया नहीं जा सकता है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

खण्डन में पुनः वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि इनके द्वारा इलाज के खर्चे में भूमि बैचान करना बताया है। भूमि बैचान का बिन्दु साक्ष्य में तय होना तब तक यह हमारी भूमि पर अनुचित लाभ प्राप्त क्यों करें। इनके द्वारा बताए गए बैचाननामें पर कोई तारीख अंकित नहीं है। बैचाननामा वर्ष 1986 में 60 रूपये के स्टाम्प पर लिखा हुआ है। दो स्टाम्प क्रय करना अंकित है परन्तु इन्होंने एक ही स्टाम्प पेश किया है। बैचाननामें का दस्तावेज कूटरचित है या नहीं साक्ष्य का विषय है। बैचाननामें महावीर के हस्ताक्षर नहीं है। इनके द्वारा इलाज कराने का अंकन अपने जबाव में नहीं किया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद निर्णय तक विवादित भूमि पर तहसीलदार हिण्डोली का रिसीवर नियुक्त किया जावे।

हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 89 में अंकित खसरा नम्बरान 516, 1095/987 ग्राम धाबाईयों का नयागांव जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– विवादित भूमि खाता संख्या 89 में अंकित खसरा नम्बरान 516, 1095/987 ग्राम धाबाईयों का नयागांव जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है। विवादित भूमियों का बंटवारा नहीं होने से प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का बराबर–2 हिस्सा होने से प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 1095/987 पर रिसीवर नियुक्त करवाने बाबत प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :– विवादित भूमि खाता संख्या 89 में अंकित खसरा नम्बरान 516, 1095/987 ग्राम धाबाईयों का नयागांव जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है। विवादित भूमियों का बंटवारा नहीं होने से प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का बराबर–2 हिस्सा होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बन रहा है। 3. अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 89 में अंकित खसरा नम्बरान 516, 1095/987 ग्राम धाबाईयों का नयागांव जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है। विवादित भूमियों का बंटवारा नहीं होने से प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का बराबर–2 हिस्सा होने से व प्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 08.06.1986 को विवादित भूमियों में निहित अपने हिस्से को स्टाम्प पर अप्रार्थी संख्या 1 को बैचान कर देने से व अप्रार्थी द्वारा उक्त बैचाननामें के आधार पर प्रार्थी संख्या 1 की भूमि पर बैचान से ही काबिज काश्त चले आने से प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बन रही है। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नही होने एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली